बिहार सरकार

समाहरणालय, सुपौल

सुपौल–852131

(जिला पंचायत)

दूरभाषः 06473–223112 (कार्या0)
06473–224210 (फैक्स)
06473–223111, 223311 (आवास)
06473–223041 (फैक्स)
E-mail:dm-supaul.bih@nic.in
Website : http://supaul.nic.in

बिहार सरकार

महेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0
जिलाधिकारी, सुपौल।

(नियोजन –पत्र)

सरकार के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या– 4046/पं0रा0 पटना, दिनांक 25.07.2018, पत्रांक 7150, पं0रा0 पटना, दिनांक 20.12.2018 एवं पत्रांक 16 (गो0)/पं0रा0, दिनांक 30.03.2020 में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक 18.08.2020 को आयोजित जिला चयन समिति की बैठक कार्यवाही ज्ञापांक 729–2/जि0पं0, सुपौल, दिनांक 24.08.2020 द्वारा लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के पद पर नियोजन हेतु चयनित निम्न अभ्यर्थियों को वर्णित शर्त्तों के अधीन निर्धारित मानदेय राशि मो0 20,000=00 (बीस हजार) रूपये मात्र प्रतिमाह की दर से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता हैं :–

क्र0	मेघा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7
1	66	श्रीमति निर्मला	श्री रामदास	वार्ड नं0–09 लोहियानगर सुपौल, थाना+जिला–सुपौल	11.03.1988	SC

लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक का निम्नवत् दायित्व होगा :–

(i) सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

vii. अभिलेखों का विधिसम्मत संधारण सुनिश्चित कराना।

viii. ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही संधारण कराना।

ix. ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरण तैयार कराना।

x. अंकेक्षण सम्पन्न कराना।

xi. सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।

xii. e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले अन्य आवंटित कार्य दायित्वों को निर्वह्न करना।

शर्त्त :–

01. यह नियोजन दिनांक 31 मार्च, 2021 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर पंचायती राज विभाग से प्राप्त निदेश पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
02. नियोजित लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक को सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (सिविल सर्जन, सुपौल द्वारा निर्गत) एकरानामा (परिशिष्ट–1) के साथ **दिनांक 07.09.2020 तक जिला पंचायत राज कार्यालय, सुपौल में अपना योगदान समर्पित करना होगा।** निर्धारित अवधि के पश्चात योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
03. संविदा शर्त्तो के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करेंगे।
04. नियोजित लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक को संविदा से हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा।
05. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्व जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
06. **नियोजित कर्मियों को** पंचायती राज विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय राशि मो0 20,000.00(बीस हजार) रूपया प्रतिमाह देय होगा।

07.~~18~~. नियोजित कर्मियों को पंचायती राज विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से प्राप्त अनुपस्थित विवरणी के आधार पर जिला पचांयत राज पदाधिकारी, सुपौल द्वारा किया जायेगा।

08.~~19~~. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी प्रकार का कोई सुविधा देय नहीं होगा। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

09.~~20~~. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

10, ~~21~~. अनुबंध पर नियोजित कर्मियों को 03(तीन) माह में कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।

11, ~~22~~. नियोजित कर्मियों के नियोजन एवं उनके प्रमाण–पत्र से संबंधित भविष्य में किसी भी प्रकार का अनियमितता प्रकाश में आता है एवं मामला जाँच में सही पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द करते हुए विधि–सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/-

जिलाधिकारी,
सुपौल।

ज्ञापांक 747-2 **/जि0पं0, सुपौल, दिनांक** 31/08 **/2020**

प्रतिलिपि– श्रीमति निर्मला, पिता श्री रामवस को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी ग्राम पंचायत के मुखिया/सभी पंचायत सचिव, सुपौल–जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला नाजिर, समाहरणालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश है कि वे जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल–जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य प्रमंडल (P.H.E.D.) सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सविलि सर्जन, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/8/2020

जिलाधिकारी,
सुपौल।

C/Panchanand/panchayat/ LS Joining Order 2020